5 रु. भारत INDIA FIVE RUPEES Rs.5 पाँच रुपये

माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

निग / 3161 / ?? / 15

प्रकरण क्रं. /15 निगरानी

1. प्रेमबाई पत्नी ईश्वरलाल जी आंजना
2. आंचल पुत्री ईश्वरलाल, अवयस्क द्वारा संरक्षक माता प्रेमबाई पति ईश्वरलाल, निवासी–दुधाखेडी तहसील पिपलोदा जिला रतलाम

—आवेदकगण

विरूद्ध

1. पार्वतीबाई पिता भगवान पत्नी देवीसिंह जी, निवासी ग्राम जेठाना तहसील पिपलोदा
2. दुर्गा पिता भगवान पत्नी दशरथ जी, निवासी माऊखेडी तहसील पिपलोदा
3. गोपी पिता भगवान पत्नी ईश्वरलाल जी निवासी ग्राम करजू जिला मंदसौर
4. पदमबाई पत्नी भगवानजी,
5. कमलाबाई पुत्री भगवानजी पति बालूसिंह
6. श्रीलाल पिता भगवानजी

निवासीगण–दुधाखेडी तहसील पिपलोदा जिला रतलाम (म.प्र.)

—अनावेदकगण

पुर्नरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.

माननीय महोदय,

आवेदिका अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जावरा जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक 86 / अपील / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 18.08.15 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत करती है।

01. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

02. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक 1 लगायत 3 ने दिनांक 11.01.2006 के नामांतरण आदेश की अपील 08.08.2013 को प्रस्तुत की जो लगभग साड़े छः वर्ष पश्चात की गई तथा

निरन्तर........2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3161-तीन/15 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	